

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय
सलाहकार से
परामर्शित

शुद्धि-पत्र

राँची, दिनांक 16/07/2025

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य विश्वविद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराया गया है। जिसके विवरणी निम्नवत् है -

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	आवंटनादेश संख्या एवं तिथि
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची	40/बजट दिनांक 15.05.2025	51/बजट दिनांक 19.05.2025
2	श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची	39/बजट दिनांक 15.05.2025	52/बजट दिनांक 19.05.2025
3	विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग	38/बजट दिनांक 15.05.2025	53/बजट दिनांक 19.05.2025
4	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद	37/बजट दिनांक 15.05.2025	54/बजट दिनांक 19.05.2025
5	सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	36/बजट दिनांक 15.05.2025	55/बजट दिनांक 19.05.2025
6	नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू	35/बजट दिनांक 15.05.2025	56/बजट दिनांक 19.05.2025
7	कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा	34/बजट दिनांक 15.05.2025	57/बजट दिनांक 19.05.2025
8	जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर	33/बजट दिनांक 15.05.2025	58/बजट दिनांक 19.05.2025

2. उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2024 को Contempt Petition (C)--- of 2024 @ Diary No 11254 of 2023 in Civil Appeal No:- 2703 of 2017 में पारित आदेश एवं विभागीय पत्रांक 1300 दिनांक 09.07.2025 के अनुपालनार्थ उपरोक्त विवरणी के आलोक में निर्गत सभी स्वीकृत्यादेश की कंडिका- 8(छ) एवं आवंटनादेश की कंडिका- 5(छ) में अंकित शर्त को निम्नवत् संशोधित किया जाता है -

क्र0	स्वीकृत्यादेश की कंडिका- 8(छ) एवं आवंटनादेश की कंडिका- 5(छ) में अंकित शर्त	उक्त के स्थान पर संशोधित शर्त
1	"नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अग्रवाल कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा। लेकिन जिन कर्मियों का मामला न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन से आच्छादित है, को पेंशनादि का भुगतान अंतिम रिपोर्ट आने तक स्थगित रखा जायेगा।"	"नवांगीभूत महाविद्यालय के वैसे सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जो न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अग्रवाल कमीशन एवं न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस0 बी0 सिन्हा कमीशन में सकारात्मक रूप से अनुशंसित हैं तथा जिनका वेतन निर्धारण विभाग द्वारा अनुमोदित है, को आवंटित राशि से पेंशनादि का भुगतान किया जा सकेगा।"

2. उपरोक्त विवरणी में अंकित सभी स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

3. प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

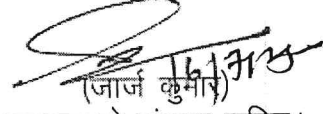
4. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(जार्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/अनु02-03/2016 95/958 /रॉची, दिनांक- 16/07/2025

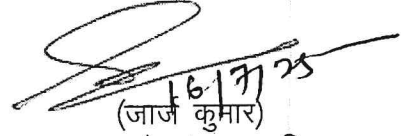
प्रतिलिपि -महालेखाकार का कार्यालय, हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची/हजारीबाग/पलामू/दुमका/चाईबासा/जमशेदपुर एवं धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-3/अनु02-03/2016 95/958 /रॉची, दिनांक- 16/07/2025

प्रतिलिपि -विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /कुलसचिव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रॉची/कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/कुलसचिव, नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू/कुलसचिव, सिदों कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/कुलसचिव, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/कुलसचिव, जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर/ कुलसचिव, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/उप निदेशक, उच्च शिक्षा/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

